संख्या- 69/2017/818/22-4-17-48(116)/15

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 04 अक्टूबर, 2017

विषय- कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से लगाये गये मोबाइल फोन जैमरों के सफल संचालन हेतु 17 कारागारों में सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप की व्यवस्था कराये जाने के लिए स्वीकृत धनराशि के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29160/आधु0-1//मो0फो0जै0/सो0पा0बै0/2014, दिनांक 12 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या-33888/आधु0-1/मो0फो0जै0, दिनांक 16 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

2- उक्त पत्रों द्वारा अवगत कराया गया है कि कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से लगाये गये मोबाइल फोन जैमरों के सफल संचालन हेतु सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप की व्यवस्था कराये जाने के लिए शासनादेश संख्या-41/2017/427/22-4-17-48(116)/15, दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा रू0 1082.25 लाख की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 432.90 लाख पीईसी लिमिटेड द्वारा अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 17 कारागारों में सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप की व्यवस्था कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1082.25 लाख की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 4,32,90,000/- (रूपया चार करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र) पीईसी लिमिटेड नई दिल्ली को आहरित कर अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए जिम्मदोर होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(6) महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) प्रक्योरमेण्ट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.18 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(7) प्राक्योरमेण्ट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.18 के अनुसार ब्जया की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(8) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(9) स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाये।

4- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-337/दस-2017, दिनांक-03 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-69/2017/818(1)/22-4-17-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, पीईसी लिमिटेड, हंसालय, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0, शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in